न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : तीन/2014 R 3174-III/14

शंकर पुत्र श्री धनु ढीमर, निवासी–मैंदवारा, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

——आवेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 18-9-14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 18-9-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1 रामसिंह पुत्र श्री फेरन सिंह, निवासी–मैंदवारा, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

2 मध्यप्रदेश शासन ——अनावेदकगण

18-9-14

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश न्यायालय आयुक्त सागर संभाग, सागर म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 84/अ–19/ब/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 18/03/2008 के विरूद्ध ।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u> –

1. यह कि, नायब तहसीलदार लिधौरा द्वारा ग्राम मैंदवारा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक–2197, रकवा 1.484 हेक्टर पर कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग में ली जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध अधिनियम 1984) के अनुसार अनावेदक रामसिंह तनय फेरन सिंह का भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किये गये।

2 यह कि, आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 71/अ–19/85–86 में पारित आदेश दिनांक 20/11/85 से परिवेदित होकर अनुविभागीय अधिकारी जतारा के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर 48/बी–121/88–89 एवं 48/बी–121/89–90 में आदेश पारित कर अपर कलेक्टर टीकमगढ़ को भिजवाते हुये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के तहत् प्रदान किये गये पट्टे भूमि

Rajni/F-91

R. 3174-III/14 [illegible]

R 3174-III/14 [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं आदि के हस्ताक्षर
3-10-17	आवेदक की ओर से सूचना उपलब्ध कोई उपस्थित नहीं। सहायक अभियोजक श्री ज्ञान सिंह शर्मा उपस्थित। समय-समय पर तीन बार पुकार लगवाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण आवेदक पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। [signature] [illegible]	[signature]